



कई लोगों की देखी लाशें, 1 करोड़ खर्च किया, अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों ने बताई 'डंकी रूट' की दास्तां

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका ने 104 भारतीयों को वतन वापिस भेज दिया है। डिपोट होकर भारत पहुंचे लोगों ने कई खुलासे किए हैं। जसपाल सिंह ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधी गईं और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें हटाया गया।

गुरदासपुर जिले के हरदोवाल गांव के रहने वाले 36 वर्षीय सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा पार करने के बाद उन्हें अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने पकड़ लिया था। विभिन्न राज्यों से 104 अवैध प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को यहां उतरा। अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा वापस भेजा गया यह भारतीयों का पहला

जथा है। गृह नगर पहुँचने के बाद जसपाल ने बताया कि एक दौड़ल एजेंट ने उनके साथ शोखाधड़ी की है, क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा जाएगा। जसपाल ने कहा, मैंने एजेंट से कहा था कि वह मुझे उचित बीजा (अमेरिका के लिए) के साथ भेजे। लेकिन उसने मुझे शोखा दिया। उन्होंने बताया कि सौदा 30 लाख रुपये में हुआ था। जसपाल ने दावा किया कि वह पिछले साल जुलाई में हवाई जहाज से ब्राज़ील पहुँचा था। उसने कहा कि वादा किया गया था कि अमेरिका की अगली यात्रा भी हवाई जहाज से ही होगी। हालाँकि उसके एजेंट ने उसे शोखा दिया, जसपाल ने अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए मजबूर किया।

ब्राजील में छह महीने रहने के बाद वह सीमा पार कर अमेरिका

चला गया, लेकिन अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जसपाल ने बताया कि उसे वहाँ 11 दिनों तक हिरासत में रखा गया और फिर वापस घर भेज दिया गया। जसपाल ने कहा कि उसे नहीं पता था कि भारत भेजा जा रहा है। वहीं, होशियारपुर के टाहली गांव के रहने वाले हरविंदर सिंह ने बताया कि वह पिछले साल आप्त में अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। उन्हें कतर, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, पनामा, निकारागुआ और फिर मैक्सिको ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मैक्सिको से उन्होंने अन्य लोगों के साथ अमेरिका ले जाया गया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने पहाड़ियां पार कीं। एक नाव, जो उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ ले जा रही थी, समुद्र में डूबने वाली थी, लेकिन हम बच गए। सिंह ने

कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति को पनामा के जंगल में मरते हुए तथा एक को समुद्र में डूबते हुए देखा। सिंह ने बताया कि उनके टैवल एजेंट ने वादा किया था कि उन्हें पहले यूरोप और फिर मैक्सिको ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका की अपनी यात्रा के लिए उन्होंने 42 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा, कभी-कभी हमें चावल मिल जाता था कुछ कभी-कभी हमें खाना को कुछ नहीं मिलता था। हमें बिस्कुट मिलते थे। एक अन्य व्यक्ति ने अमेरिका जाने के लिए इस्तेमाल किया गए 'डंकी रूट' के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रास्ते में हमारे 30,000-35,000 रुपये के कपड़े चोरी हो गए। निर्वासित व्यक्ति ने बताया कि उसे पहले इटली और फिर लैटिन अमेरिका ले जाया गया। उन्होंने बताया कि नाव से 15 घंटे लंबी यात्रा करनी

पड़ो और 40-45 किलोमीटर
हैदल चलना पड़ा। उन्होंने कहा,
हमें 17-18 पहाड़ियां पार कीं।
अगर कोई फिसल जाता तो
उसके बचने की कोई संभावना
नहीं होतीज हमने बहुत कुछ देखा
है। अगर कोई घायल हो जाता तो
उसे मरने के लिए छोड़ दिया
जाता था। हमने कई लार्शें देखीं।
उन्होंने बताया कि हमें हमेशा डर
लगा रहता था कि वह जिंदा बचेगे
या नहीं। एक गुजराती परिवार का
दावा है कि उसने अमेरिका
पहुंचने के लिए 1 करोड़ रुपये
का भुगतान किया है।वहीं इस
संबंध में एक अन्य अधिकारी ने
कहा, अमृतसर के एक सीमावर्ती
गांव के एक युवक के चाचा ने
कहा कि परिवार ने अपने भतीजे
को विदेश भेजने के लिए डेढ़
एकड़ जमीन बेच दी और 42
लाख रुपये से कुछ अधिक खर्च
किए।



लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद भवन के मकर दिवस पर अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया।



बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट 2025-26 के खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया और बिहार को विशेष राश्य का दर्जा देने की मांग की.

हादसा नहीं साजिश थी महाकुंभ भगदड़! एटीएस के रडार पर 10 हजार संदिग्ध; सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच

प्रयागराज (आरएनएस)। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिजी और मुड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं, साजिज मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एंटी-टैरिस्ट स्कॉड, स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल टैलीजेंस यूनित के रडार पर 10 हजार से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा ४ और हज़र के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई का मुवमेंट मिला है।

जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर निगेटिव कमेंट किए गए या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ

को बहुत ज्यादा सच किया। इनकी भूमिका भी जांच, झूस और स्क्वाज कर रही हैं। 18 जेलों में कैद सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। के एक अफसर ने बताया कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था। बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से खुफिया एजेंसियाँ एक्टिव थीं। इटेलिजेंस ने क्रिमिनल हिस्ट्री व प्रवेश सकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया। उन्हें समझाया गया और मैजिस्ट्रेट दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट नहीं करें।



वामपंथी दलों के सांसदों ने नई दिल्ली में अमेरिका से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ संसद के प्रवेश द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

यूएस से भारतीयों को निकाले जाने पर बोले जयशंकर,
जंजीरों से बांधे जाने को लेकर भी दिया जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। जयशंकर ने गुवावर को राज्य अमेरिका की तरफ अवैध भारत निर्वासित करने की प्रक्रिया कोई बल्कि यह कई वर्षों से चल रहा है, कहा, यह सभी देशों का दायित्व नागरिक विदेश में अवैध रूप से तो उन्हें वापस ले लिया जाए। अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वासितों के साथ किसी भी तरह हो।

भारतीयों के जंजीरों से हा
लेकर मचे विवाद पर बोलते हुए ज

देश मंत्री एस
न' में कहा कि
प्रवासियों को
बतायें नहीं हैं,
। विश्व मंत्री ने
कि यदि उनके
रहे पाए जाते हैं
न्होंने कहा, हम
कर रहे हैं, ताकि
पस लौटने वाले
का दुर्व्यवहार न
पैर बांधे, '2012

यम के मुताबिक जब लोगों को भेजा जाता है, तो उन्हें सुरक्षा के लिए स्प्रेडें) रखा जाता है, लेकिन दृष्टि यानी उन्हें नहीं बांधा जाता।' शंकर ने अगर कहा, 'हम अमेरिकी नाटकीय कर रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि वापस लौटने वाले व्यक्ति भी तरह का पूर्वव्यवहार न करें।' ४ अवैध भारतीय अनुवासियों के अमेरिकी सैन्य विमानों में हमला पड़ा। इसमें सबसे अधिक भारतीय और गुजरात से सबसे अधिक लोग पंजाब के निवासी थे।

शादी से पहले गौतम अडानी के बेटे ने लिया ये फैसला, बाराती भी हैरान

नई दिल्ली (आरएनएस)। अदानी रूप के चेयरमैन गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी कल दिवा जैमिन शाह के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। दोहन-वर-वधू अहमदाबाद में सात घंटे लेंगे। जीत अदानी ने शादी से पहले 500 लोगों पर हर साल लाखों रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। दरअसल, शादी से पहले जीत अदानी ने दिव्यांग महिलाओं के लिए 'मंगल सेवा' का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर साल वो 500 दिव्यांग नवनिवाहि महिलाओं को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देंगे। जीत और दिवा की शादी के लिए खास अदानी फाउंडेशन से गिफ्ट्स आएं, जिनमें टेडियनल हैंडक्राफ्ट चीजें, लकड़ी और मिट्टी के शोपीस भी शामिल होंगे। वही बेटे की शादी में आए लोडोज के लिए प्रीती अदानी जी ने खास तैयारियां की हैं। मेहमानों के लिए करीब नाश्क के 400 कारगैरों ने पैठणी साड़ियां बुनी हैं। साड़ी के साथ-साथ मेहमानों को खास बोर्डेड नकलेस, कमराबंद, नेल आर्ट और क्राफ्ट वाली चीजें भी मिलेंगी। जोधपुर से खास लॉक की चूड़ियां बनाने वाले भी शादी में आएंगे।

पहले पति से अलग हुई महिला दूसरे हसबैंड से मांग सकती है गुजारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला अपने दूसरे पति से भ्रण-पोषण पाने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी वैधानिक रूप से चल रही हो। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाणा हाईकोर्ट के 2017 के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने आदेश में महिला को दूसरे पति की कानूनी पत्नी मानने से इन्कार कर दिया था, क्योंकि महिला की पहली शादी वैधानिक रूप से चल रही थी।

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि पति का कानूनी और नैतिक कर्तव्य है। महिला के वकील ने तर्क दिया कि महिला और प्रतिवादी पुरुष वास्तव में विवाहित जोड़े के रूप में रह रहे थे। साथ में एक बच्चे का पालन-पोषण कर रहे थे, इसलिए उसे भरण-पोषण का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पहली शादी के तथ्य को दूसरे पति से छिपाया नहीं गया था। महिला के दूसरे पति ने दलील दी कि चूँकि अपीलकर्ता महिला का पहले पति के साथ कानूनी

रूप से विवाह है, इसलिए उसे उसकी पत्नी नहीं माना जा सकता और वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। पीठ ने कहा, महिला को भरण-पोषण से माना नहीं किया जा सकता। यह स्थापित करना है कि सामाजिक कल्याण के प्रावधानों को व्यापक और लाभकारी निर्माण के अधीन होना चाहिए।

ये है मामला
बता दें महिला की शादी 1999 में
हुई थी। उसने 2000 में एक लड़के को
जन्म दिया। 2005 में दंपती अलग-
अलग रहने लगे। 2011 में करारनामे से
दंपती ने शादी को खत्म कर दिया। फिर

महिला ने दूसरी शादी कर ली। कुछ महीनों बाद दूसरा पति विवाह खत्म करने पर पारिवारिक अंदाज पटुंका। कोर्ट ने 2006 में विवाह अमान्य कर दिया। कुछ दिनों बाद महिला ने प्रतिवादी से दोबारा शादी कर ली। दंपती को 2008 में बेटी हुई। बाद में मतभेद होने पर महिला ने दहेज उत्प्रेषण का केस कर दिया और भरण-पोषण के लिए पारिवारिक कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने गुजारे भत्ते का आदेश दिया, जिसे प्रतिवादी की अपील पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तब महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।



कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा और अन्य विपक्षी नेताओं ने नई दिल्ली में संसद भवन के मकर दिवस पर अमेरिका से कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

